

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/E/2019/

दिनांक -

-:आदेश:-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	नन्दू देवी	उप स्वास्थ्य केन्द्र चौरडी, खण्ड दौसा	निदेशालय के आदेश क्रमांक 540 दिनांक 01.05.17 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1 दिनांक 31.03.2019 से 30.11.2019 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	विजयलक्ष्मी	राज0 सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद, अजमेर	1 दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2 दिनांक 10.09.2020 से 07.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3 दिनांक 08.01.2021 से 09.09.2021 तक 245 का असाधारण अवकाश।
3	केसर प्रजापत	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आर. के.राज0 चिकि0 राजसमन्द	1 दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
4	ममता चौधरी	उप स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धोलिया, खण्ड मालपुरा, टोक	1 दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2 दिनांक 12.09.2020 से 09.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3 दिनांक 10.01.2021 से 12.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/G/2019/644

दिनांक -22/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से आपके अधीन कार्यरत/अध्ययनरत सबधित कार्मिका को उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर